

## ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ और संबंधित नयिम

### प्रलिस के ललल

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मृत्युपूर्व घोषणा

### मेन्स के ललल

मृत्युपूर्व घोषणा: महत्त्व और संबंधित वलवल

### चर्चा में क्यों?

हलल ही में **‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो’** (CBI) की एक वलशेष अदललत ने हत्या के एक आरोपी की हरलसत में मौत के ललल दो पुलसलकर्मलल को उमरकैद की सज़ा सुनलई, जो कलपीडतल दवलरल की गई ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ पर आधलरतल है ।

- **‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो’** (CBI) भरत की प्रमुख जलँच एजेंसी है । यह भरत सरकर के कर्मकल, पेंशन तथल लोक शकललयत मंत्रललय के कर्मकल वलभलग [जो प्रधानमंत्रल कर्यललय (PMO) के अंतरगत आतल है] के अधीकरण में कर्य करतल है ।

### प्रमुख बलदु

#### ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ कल आशय

- भरतीय सलकष्य अधनलनलम, 1872 की धलरल-32(1) ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ को मृत व्यक्तर दवलरल दलल गए प्रलसंगकल तथ्यों के लखलतल यल मौखकल बयलन के रूप में प्रलभलषतल करतल है । यह उस व्यक्तर कल कथन हलतल है जो अपनी मृत्यु की प्रलसलथतललल के बलरे में बतलते हुए मर गलल थल ।
  - यह इस सलदुधलत पर आधलरतल है कल एक व्यक्तर झूठ के सलथ अपने सृजनकरत्तल के समकष नही जल सकतल ।
- अधनलनलम की धलरल 60 के तहत सलमलन्य नलनलम यह है कल सलभी मौखकल सलकष्य प्रत्यक्ष होने चलहलल यलनी पीडतल ने इसे सुनल, देखा यल महसूस कलल हो ।

#### ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ संबधी नलनलम

- ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ को मुखयत: दो वयलपक नलनलमों के आधलर पर सूवीकृतल दी जल सकतल है:
  - जब पीडतल प्रलय: अपरलध कल एकमलतुर प्रमुख प्रत्यक्षदरशी सलकष्य हो ।
  - ‘आसनन मृत्यु कल बोध’, जो न्यलयलय में शपथ दलयतलव के समलन ही हलतल है ।

#### ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ की रकलरडगल:

- कलनून के अनुसलर, कोई भी व्यक्तर मृतक कल मृत्युपूर्व बयलन दरज कर सकतल है । हलललँकल न्यलयकल यल कर्यकलरी मजसलदुरेट दवलरल दरज कलल गलल मृत्युकललीन बयलन अभयलोजन मलमले में अतरलकलत शकृतर प्रदलन करेगल ।
  - ‘मृत्युपूर्व घोषणा’ कलई मलमलों में "घटना की उत्पत्तल को सलबतल करने के ललल सलकष्य कल प्रलथमकल हलसलसल" हो सकतल है ।
- इस तरह की घोषणल के ललल अदललत में पूरी तरह से जवलबदेह होने की एकमलतुर आवश्यकतल पीडतल के ललल सूवेच्छल से बयलन देनल और उसकी मलनसकल सथतल कल सूवसथुय हलनल है ।
  - मृत्यु से पहले की गई घोषणल को दरज करने वलले व्यक्तर को इस बलत से संतुषुट हलनल चलहलल कलपीडतल की मलनसकल सथतल ठीक है ।

#### ऐसी सथतलललल जहलँ न्यलयलय इसे सलकष्य के रूप में सूवीकर नही करतल है:

- हलललँकल ‘मृत्युपूर्व घोषणल’ अधकल प्रलभलकलरी हलतल है क्यलँकल आरोपी के पलस जरलह की कोई गुंजलइस नही हलतल है ।
  - यही करण है कल अदललतों ने सदैव इस बलत पर ज़ोर दलल है कल ‘मृत्युपूर्व घोषणल’ इस तरह की हलनी चलहलल कल अदललत को इसकी सत्यतल पर

पूरा भरोसा हो।

- अदालतें इस बात की जाँच करने के मामले में सतर्क होती हैं कर्मृतक का बयान किसी प्रोत्साहन या कल्पना का उत्पाद तो नहीं है।

### पुष्टि की आवश्यकता (सबूत के समर्थन में):

- कई नरिण्यों में यह उल्लेख किया गया है कथिह न तो कानून का नयिम है और न ही वविक का, कर्मृत्यु से पहले की घोषणा की बनिा पुष्टिकियि काररवाई नहीं की जा सकती है।
  - यदनियायालय इस बात से संतुष्ट है कर्मृत्युपूरव घोषणा सत्य और स्वैच्छिकि है तो बनिा पुष्टिकिे उस आधार पर दोषसदिध किया जा सकता है।
- जहाँ मृत्युपूरव घोषणापत्र संदेहास्पद हो, उस पर बनिा पुष्ट साक्ष्य के काररवाई नहीं की जानी चाहिये क्यौंकर्मृत्युपूरव घोषणा में घटना के बारे में वविरण नहीं होता है।
  - इसे केवल इसलिये खारजि नहीं किया जाना चाहिये क्यौंकथिह एक संक्षपित कथन है। इसके वपिरीत कथन की संक्षपितता ही सत्य की गारंटी देती है।

### चकितिसकीय राय की वैधता:

- आमतौर पर अदालत इस बात की संतुष्टिकिे लयि चकितिसकीय राय ले सकती है ककिया वयक्तमृत्युकालीन घोषणा करने के समय स्वस्थ मानसकि स्थतिमें था।
- लेकनि जहाँ चश्मदीद गवाह के कथन के अनुसार वयक्तने मौत से पहले घोषणा मानसकि रूप से स्वस्थ और सचेत अवस्था में की है, वहाँ चकितिसकीय राय मान्य नहीं हो सकती।

### स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/dying-declaration>

